Session 2023-2024

आज दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को आदर्श महिला महाविद्यालय में Anti Sexual Harassment Cell के अंतर्गत एक विस्तार - व्याख्यान का आयोजन किया गया । व्याख्यान का विषय था -- "कार्य - स्थल पर महिला उत्पीडन के खिलाफ सख्त कदम " इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्या डाॅ अलका मित्तल ने की ।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता मनोविज्ञान विभाग से डाॅ वंदना बजाज थी । डाॅ वंदना ने अपने व्याख्यान में बताया कि 2013 में यौन उत्पीडन निवारण अधिनियम लागू किया । इस अधिनियम से कैसे उत्पीडन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है । दोषी व्यक्ति को कौन कौन से कानूनों के तहत सजा दी जा सकती है । प्राचार्या डाॅ अलका मित्तल ने छात्राओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि यदि किसी भी महिला का शारीरिक या मानसिक उत्पीडन होता है तो उसे बिना किसी संकोच के खुलकर विरोध करना है और Anti Sexual Harassment Cell के सदस्यों के सामने अपनी बात रखनी है । मैडम ने यह भी बताया कि लडकियाँ स्वयं को कमजोर ना समझे । लडकियाँ चाहे तो बडे से बडा काम कर सकती हैं । Anti Sexual Harassment Cell की संयोजिका डाॅ मधु मालती ने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013 में पोश POSH एक्ट बनाया अर्थात प्रिवेंशन आफॅ सेक्सुअल हैरेसमैंट ।इस एक्ट के तहत हर संस्था या कंपनी को एक कमेटी बनानी होगी जो महिलाओं के यौन उत्पीडन की समस्याओं को सुनेगी । कार्यक्रम के अंत में प्राचार्या मैडम ने कार्यक्रम की सफलतापूर्वक सम्पन्नता पर मुख्य वक्ता डाॅ वंदना ,कार्यक्रम संयोजिका डाॅ मधु मालती , कमेटी की सदस्य मैडम निर्मल मलिक को बधाई दी

17-10-2023
ANTI - SEXUAL HARASSME
Organises An Entenston Lec
On
SPEAKER:-
Dr. Vandana

BHIWANI
17-10-2023
ANTI-SEXUAL HARASSMENT CELL
Organises An Extension Lecture
On
"Sexual Harassment on women at work Place"
SPEAKER:-